

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,  
लिंग रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/155629/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 018/2023-BHO/I/69680 दिनांक 12.04.2024

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

(1)आपके पत्र क्रमांक/6-MPR 018/2023-BHO/I/69680 दिनांक 12.04.2024 से चाही गई 02 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Site Inspection Report of Conservator of Forests shall be submitted which is yet not submitted.	वन संरक्षक बालाघाट ने अपने पत्र दिनांक 30.01.2024 द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।
2	Reply of this office letter No. 6-MPR 018/2023-BHO dated 12/02/2024 shall be submitted.	आपके पत्र दिनांक 12.02.2024 का उत्तर नीचे के कॉलम में अंकित है।

(2)आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 018/2023-BHO/ दिनांक 12.02.2024 से चाही गई 04 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The point-wise reply of this office EDS dated 27.12.2023 through online portal.	आपके EDS dated 27.12.2023 द्वारा चाही गई 06 बिन्दुओं की जानकारी कार्यालयीन पत्र दिनांक 20.03.2024 से आपको प्रेषित की जा चुकी है, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।
2	The consolidated report of concerned CF as desired by Regional Office, Bhopal.	वन संरक्षक बालाघाट ने अपने पत्र दिनांक 30.01.2024 द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।


-2-

3	The identified Non-Forest Land is found to be suitable for raising CA, therefore there is no requirement of planting balance plantation in the DFL.	वन मण्डलाधिकारी ने अवगत कराया है कि ग्राम घुम्पुर में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। उक्त भूमि अतिक्रमण से मुक्त है एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है, परन्तु पौधे CA के NORMS के हिसाब से 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगने चाहिए, उतने Site Specific Plan के हिसाब से नहीं लग पा रहे हैं, इसलिए बचे हुए पौधे को RDF क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा रहा है।
4	The proposed road is falling in Tadoba-Indrawati Tiger Corridor. Therefore, approval of the NBWL shall be submitted prior to Stage-I approval.	आवेदक संस्थान द्वारा CWLW (वन्यप्राणी) की अनुमति हेतु परिवेश पोर्टल में प्रकरण क्रमांक/WL/MP/Road/468651/2024 से ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

अतः आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय

  
(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/3385  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27-6-24

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
  2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण बालाघाट मध्यप्रदेश।
  3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सिविल लाईन, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



# कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.-(07632-248414)

क्रमांक/तकनीकी/ 4191  
प्रति,

बालाघाट, दिनांक 21/06/2024

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,  
(भू-प्रबंध)  
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग पहुँच निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155629/2022, प्रकरण क्रमांक WL/MP/ROAD/468651/2024

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ-5/1256/2023/10-11/2686 भोपाल दिनांक 22.05.2024

—00—

निवेदन है, कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार परिपालन में भारत सरकार के पत्र क्रं. 6-एमपीआर 018/2023- बीएचओदिनांक 12.02.2024 के अंतर्गत 04 बिन्दुओं की एवं भारत सरकार के पत्र क्रं. 6-एमपीआर 018/2023-1/69680 दिनांक 12.04.2024 के तहत 02 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार अवलोकनार्थ सादर सम्प्रेषित है।

1. पत्र क्रं. 6-एमपीआर 018/2023- बीएचओ दिनांक 12.02.2024 के तहत 04 बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन

क्रं.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1.	The point- wise reply of this office EDS dated 27-12-2023 through online portal..	उक्त बिन्दु के संबंध में लेख है कि कार्यालयीन पत्र क्रं/मा. चि./656 दिनांक 25.01.2024 द्वारा 06 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित की गई। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।
2.	The consolidated report of concerned CF as desired by Regional office, Bhopal.	वन संरक्षक बालाघाट वन वृत्त का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (SIR) की छायाप्रति संलग्न है।
3.	The identified Non- Forest Land is found to be suitable for raising CA, therefore there is no requirement of planting balance plantation in the DFL	ग्राम घुम्पुर में CA हेतु गैर वनभूमि विभिन्न योजनाओं का मिलाकर दिया गया है, जिसमें सभी योजनाओं को भाग दिया गया है। जिसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है, एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त है, परन्तु जितने पौधे CA के नार्मस के हिसाब से लगने चाहिए, उतने Site Specific Plan के हिसाब से नहीं लग पा रहा है, इसलिये बचे हुये पौधे को RDF में लगाया जा रहा है।
4.	The proposed road is falling in Tadoba-Indrawati Tiger-Corridor. Therefore, approval of the NBWL shall be submitted prior to stage-I approval.	आवेदक संस्थान द्वारा CWLW की अनुमति हेतु परिवेश पोर्टल पर प्रकरण क्रं. WL/MP/ROAD/468651/2024 तैयार कर मय मिटिगेशन मेजर्स प्लान अपलोड किया गया है जो अनुशंसा सहित प्रकरण प्रेषित किया गया है।

2. पत्र क्रं. 6-एमपीआर 018/2023- 1/69680 दिनांक 12.04.2024के अंतर्गत 02 बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन :-

क्रं.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1.	Site Inspection Report conservator of forest shall be submitted which is yet not submitted.	वन संरक्षक बालाघाट वन वृत्त का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (SIR) की छायाप्रति संलग्न है।
2.	Reply of this office letter no.6-MPR 08/2023 BHO Dated 12/02/2024 shall be submitted.	उक्त बिन्दु के संबंध में लेख है कि कार्यालयीन पत्र क्रं/मा. चि./656 दिनांक 25.01.2024 द्वारा 06 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित की गई। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(अभिनव पल्लव)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट

दक्षिण सा. वनमंडल बालाघाट

Handwritten signature and date: 21/06



- (1) वन संरक्षक बालाघाट वन वृत्त (म.प्र.)की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
- (2) वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (3) आवेदक विभाग- महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. परियोजना क्रि. इकाई 1 एवं 2 बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत अग्रेषित।

(अभिनव पल्लव)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट  
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट





कार्यालय मुख्य वन संरक्षक  
वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश - 481001

Email- ccf.bgl@mp.gov.in, दूरगाय : 07632-241201 फ़ैक्स : 07632-240208

क्रमांक/तक. कक्ष/134  
प्रति,

बालाघाट, दिनांक : 30/01/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(कक्ष भू-प्रबंध)  
म.प्र., भोपाल


विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155629/2022)

संदर्भ :- आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/02 दिनांक 01.01.2024.

-0-

निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र क्र. 6-एमपीआर 018/2023-बीएचओ दिनांक 27.12.2023 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक-03 तथा FRCM की मीटिंग दिनांक 12 जनवरी 2024 में प्रदत्त निर्देशानुसार स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न सादर संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
( ए.पी.एस. सेंगर )  
भा.व.से.  
वन संरक्षक  
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.  
30/1



## स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक (प्रकरण क्रमांक/MP/MP/ROAD/155629/2022) सड़क निर्माण कार्य दक्षिण सामान्य वनमंडल, बालाघाट के अधीनस्थ वनपरिक्षेत्र पूर्व लांजी अंतर्गत प्रभावित आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 327, 339, 340, 341A, 341B में लंबाई 18500 मीटर रकबा 16.65 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित सड़क मार्ग में आवेदित 16.65 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण में मेरे द्वारा दिनांक 11.01.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया है। स्थल निरीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग की लंबाई 18500 मीटर तक निर्माण होने से वनग्राम धीरी के वनग्रामवासियों को लांजी आने के लिये धीरी से गातापार-रिसेवाड़ा होकर तहसील मुख्यालय लांजी तक 70 कि.मी. की दूरी तय करके आना पड़ता है। प्रस्तावित मार्ग के निर्माण होने से धीरी से लांजी तक की दूरी 35.00 कि.मी. रह जाती है।

जहाँ तक प्रस्तावित मार्ग की उपयुक्तता का संबंध है तो प्रस्तावित सड़क मार्ग का निर्माण नक्सल उन्मूलन की दृष्टि से उपयोगी है। उक्त मार्गों का उपयोग नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा पुलिस विभाग द्वारा सतत सर्चिंग के लिये किया जाना है। उक्त मार्ग के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन भी सुगम होगा एवं साथ ही प्रतिवर्ष विदोहित की जाने वाली वनोपज की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को गस्ती करने में सुगमता होगी। प्रस्तावित सड़क मार्ग के निर्माण से जनहित एवं ग्रामीणों को आवागमन सुविधा, नक्सली नियंत्रण व उन्मूलन एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उपयुक्त है।

हालांकि वर्तमान में वनग्राम धीरी के ग्राम वासियों को तहसील मुख्यालय लांजी आने में 70 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है किन्तु प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से इन ग्रामवासियों को लांजी मुख्यालय आने में केवल 35 कि.मी. की ही दूरी तय करनी पड़ेगी जिसका फायदा धीरी ग्राम के निवासीयों को चिकित्सा/शिक्षा/बाजार हेतु होगा तथा उनके समय एवं खर्च में भी कमी होगी। ऐसी स्थिति में उक्त नक्सल गतिविधियां नियंत्रण आदि में सुगम आवागमन एवं वन कर्मचारियों/अधिकारियों के वनग्राम में सुगमता के लिए उपयुक्तता के साथ-साथ उक्त ग्रामीणों को तहसील मुख्यालय लांजी में आवागमन में बहुत सहूलियत होगी इस लिये प्रस्तावित मार्ग का निर्माण किया जाना उपरोक्त सभी दृष्टि से उपयुक्त है।

30/01/2024  
 ( ए.पी.एस्त. सोंगर )  
 गा.प.शे.  
 वन संरक्षक  
 मृत्युन्त बालाघाट म.प्र.



# कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.—(07632-248414)  
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 656  
प्रति,

बालाघाट, दिनांक 25/01/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(भू-प्रबंध)  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/155629/2022)  
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/01, 02 दिनांक 01.01.2024

—00—


निवेदन है, कि विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित जानकारी आवेदक विभाग-महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, बालाघाट द्वारा उनके पत्र क्रमांक/204/तक. /मप्रग्रासविप्रा/2024 दिनांक 25.01.2024 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। (उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न) अतएव प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 06 बिन्दुओं पर जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The population at both the end of the proposed road is already been connected by the existing road of "lanji-kheragad road" so the purpose of this road is not clear. Further it is seen in the KML that there is no population being benefited along the proposed alignment so the unnecessary break up of the forest land and felling of 244 trees can be avoided. The comment of the concerned DFO shall be submitted in the regard with detailed justification for road because the justification provided is not satisfactory.	प्रस्तावित मार्ग बोदादलखा से धीरी मुरुम मार्ग का निर्माण नक्सल उन्मुलन की दृष्टि से उपयोगी है। मार्ग के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन भी होगा एवं साथ ही वनोपज सामाग्री की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को गश्ती करने में सुगमता होगी। प्रस्तावित सड़क मार्ग के निर्माण से जनहित एवं ग्रामीणों को आवागमन सुविधा, नक्सली उन्मुलन एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उपयुक्त है। तथा उक्त मार्ग के संबंध में आवेदक विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है, कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान हर संभव प्रयास कर कम से कम पेड़ों को क्षति पहुँचाई जायेगी।
2	The DFO may also submit the status of road as per the approved working plan.	वनमंडल में प्रचलित अनुमोदित कार्य आयोजना में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रूप में उल्लेखित नहीं है। परन्तु उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोग्राफी शीट में दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
3	The total area of various proposals in this region is more than 40.00 ha. in consolidation in the same division and by the same agency therefore it is better to have the site visit report of the concerned CF/CCF for better understanding of the area and the requirement of the road.	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त बालाघाट के पत्र क्रमांक/तक. कक्ष/29 दिनांक 08.01.2024 में उक्त संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
4	The comment of CWLW shall be submitted.	प्रस्तावित सड़क मार्ग का भाग वनकक्ष क्रमांक 340, 341A, 341B, में कान्हा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर अन्तर्गत आ रहा है। उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./570 दिनांक 19.01.2024 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल म.प्र. की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)



5	The area proposed for CA also includes area provided for other proposals that can create confusion in near future when monitoring of the area will be planned. Therefore it is suggested to have separate proposal wise CA scheme and KML file with proper demarcation in such case shall be submitted/uploaded.	आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0033/अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम-घुम्मुर, प.ह.न. 63, तह. बिरसा, जिला बालाघाट के खसरा नं. 25/1क/1 के कुल रकबा 96.837 हे० में से 82.00 हे० (04 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/155629/2022 रकबा 16.650 हे० (2) FP/MP/Road/156164/2022 रकबा 12.690 हे० (3) FP/MP/Road/413102/2023 रकबा 3.960 हे० (4) FP/MP/Road/155479/2022 रकबा 7.290 हे०) भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना चारो प्रस्तावों के लिये एकजाई बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त चारो प्रस्तावों अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की एकजाई के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है। पृथक-पृथक प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल संलग्न है।
6	Status of clearance of Wildlife needs to be submitted.	उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./570 दिनांक 19.01.2024 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल म.प्र. की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा वन्यप्राणी अभिमत की कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(मीना कुमारी मिश्रा)  
भा.व.से.


वनमंडल अधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट  
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

बालाघाट दिनांक 25/01/2024

पृ. क्रमांक/मा०चि०/ 657  
प्रतिलिपि:-

- वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र जो आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
- वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
- आवेदक विभाग- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, बालाघाट, की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित संबंध में आपके पत्र क्रमांक/204/तक/मप्रग्रासप्रा/2023 दिनांक 25.01.2024 द्वारा प्रेषित जानकारी के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(मीना कुमारी मिश्रा)  
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट  
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट



पत्र क्र. 204 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2024  
प्रति,

बालाघाट दिनांक 25 / 01 / 2024

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत बोदलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग पहुँच निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155629/2022 )

संदर्भ :- 1. आपका पत्र पृ. क्रं. 133 दिनांक 04.01.2024  
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का प.क्रं. एफ-5 / 1256 / 2023 / 10-11 / 01 भोपाल दिनांक 01.01.2024  
3. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. / 6-MPR018/2023-बीएचओ दिनांक 27.12.2023

.....00.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निदेशों के तहत 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में संबंधित वांछित जानकारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1.	The population at both the end of the proposed road is already been connected by the existing road of "lanji-kheragad road" so the purpose of this road is not clear. Further, it is seen in the KML that there is no population being benefited along the proposed alignment. So the un-necessary break up of the forest land and felling of 244 trees can be avoided. The comment of the concerned DFO shall be submitted in this regard with detailed justification for road because the justification provided is not satisfactory.	बोदालखा से धीरी मुरुम मार्ग का निर्माण भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई. योजनान्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। मार्ग का निर्माण होने पर पुलिस प्रशासन को सर्किंग के लिए सुविधा एवं जोखिम से मुक्त होगी। यह मार्ग स्टेट कनेक्टिविटी से भी संबंधित है जो कि छत्तीसगढ़ सीमा तक जा रहा है जिससे छत्तीसगढ़ तक सम्पर्कता स्थापित होगी। नक्सली गतिविधियों में राज्यों के आपसी समन्वय स्थापित कर अंकुश लगाया जावेगा। मार्ग के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन भी होगा एवं साथ ही वनोपज सामग्री की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों को गश्ती करने में सुगमता होगी। सड़क निर्माण में आवेदक विभाग हर संभव यह प्रयत्न करेगा कि निर्माण कार्य के दौरान कम से कम पेड़ों में क्षति पहुँचाया जाय।
2.	The DFO may also submit the status of road as per the approved working plan.	प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रूप में उल्लेखित है। उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपो शीट में भी दर्शाया है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
3.	The total area of various proposals in this region is more than 40-00 ha in consolidation in the sae division and by the same agency therefore it is better to have the site visit report of the concerned CF/CCF for better understanding of the area and the requirement of the road.	मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त बालाघाट के पत्र क्रमांक 29 / तक बालाघाट दिनांक 08.01.2024 में उक्त संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
4.	The comment of CWLW shall be submitted.	





<p>5. The area proposed for CA also includes area provided for other proposals that can create confusion in the near future when monitoring of the area will be planned. Therefore it is suggested to have a separate proposal-wise CA scheme and KML file with proper demarcation in such cases shall be submitted/uploaded.</p>	<p>कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0033/अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूर्क वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम-धुम्पुर, प.ह.न. 63, तह. बिरसा, जिला बालाघाट के खसरा नं. 25/1क/1 के कुल रकबा 96.837 हे० में से 82.00 हे० (04 प्रस्तावों के लिए समेकित</p> <p>(1) FP/MP/Road/156164/2022 रकबा 12.690 हे०  (2) FP/MP/Road/155629/2022 रकबा 16.650 हे०  (3) FP/MP/Road/413102/2023 रकबा 3.960 हे०  (4) FP/MP/Road/155479/2022 रकबा 7.290 हे०) भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना चारों प्रस्तावों के लिये एकजाई बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त चारों प्रस्तावों अन्तर्गत क्षतिपूर्क वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की एकजाई के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है। पृथक-पृथक प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल संलग्न है।</p>
<p>6. Status of clearance of Wildlife needs to be submitted.</p>	<p>—</p>

पृ. क्र. 205 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2024  
प्रतिलिपी:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में चाही गई वाछित बिन्दुओं की जानकारी पत्रक एवं परिशिष्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक महोदय बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट  
बालाघाट, दिनांक 25/01/2024

  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट